झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा

सप्तदश (मानसून) सत्र

वर्ग–04

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, गुरूवार, दिनांक :– 10 श्रावण, 1946 (श0) / 01 अगस्त, 2024 (ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेगें :–

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
35.	अ0सू0–40	श्री अमित कुमार यादव	दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई।	ऊर्जा	27.07.24
36.	अ0सू0–09	श्री समीर कुमार मोहन्ती	सेवा स्थायीकरण करना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	25.07.24
37.	अ0सू0–01	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	महिला आयोग का गठन।	महिला बाल वि0 एवं सा0 सुरक्षा	25.07.24
38.	अ0सू0–13	डॉ0 लम्बोदर महतो	योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।	जल संसाधन	25.07.24
39.	अ0सू0–16	श्री उमाशंकर अकेला	राशि का भुगतान।	खाद्य सार्व0वि0एवं उपभोक्ता मामले	25.07.24
40.	अ0सू0–05	श्री प्रदीप यादव	समय अनाज उपलब्ध कराना।	खाद्य सार्व0वि0एवं उपभोक्ता मामले	25.07.24
41.	अ0सू0–29	श्री सरयू राय	सामाग्रियों की मात्रा बताना।	खाद्य सार्व0वि0एवं उपभोक्ता मामले	26.07.24
42.	अ0सू0–25	श्रीमती सुनिता चौधरी	छात्रावास का निर्माण।	अनु0जाति,अनु0 जनजाति,अल्प–संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	26.07.24
43.	अ0सू0–08	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण।	महिला बाल वि0 एवं सा0 सुरक्षा	25.07.24
44.	अ0सू0–30	श्री विनोद कुमार सिंह	कार्रवाई करना।	खाद्य सार्व0वि0एवं उपभोक्ता मामले	26.07.24

01	02	03	04	05	06
145.	अ0सू0-14	श्री विकास कुमार मुण्डा	TRW स्थापित करना।	ऊर्जा	25.07.24
146.	अ0सू0-31	श्री विनोद कुमार सिंह	कार्य पूर्ण करना।	ऊर्जा	26.07.24
147.	अ0सू0-32	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	T.V.N.L का विस्तारीकरण।	ऊर्जा	26.07.24
148.	अ0सू0-46	श्रीमती पुष्पा देवी	मुआवजा देना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	27.07.24
149.	अ0सू0-18	श्री केदार हजरा	पढ़ाई प्रारंभ कराना।	अनु0जाति,अनु0 जनजाति,अल्प0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	25.07.24
150.	अ0सू0-27	श्री सरयू राय	योजना का क्रियान्वयन।	अनु0जाति,अनु0 जनजाति,अल्प0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	26.07.24
151.	अ0सू0-17	श्री भानु प्रताप शाही	किसान के खेतों में पानी।	जल संसाधन	25.07.24
152.	अ0सू0-33	श्री कमलेश कुमार सिंह	कोल्ड स्टोरेज को चालू कराना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	27.07.24
153.	अ0सू0-10	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	विद्युतीकरण कराना।	ऊर्जा	25.07.24
154.	अ0सू0-37	श्री किशुन कुमार दास	विद्युत आपूर्ति करना।	ऊर्जा	27.07.24
155.	अ0सू0-36	श्री बिरंची नारायण	विद्युत आपूर्ति व्यवस्थित कराना।	ऊर्जा	27.07.24
156.	अ0सू0-11	श्री दशरथ गागराई	कार्य की स्वीकृति प्रदान करना।	जल संसाधन	25.07.24
157.	अ0सू0-26	श्रीमती सुनिता चौधरी	दोषी एजेंसी पर कार्रवाई।	ऊर्जा	26.07.24
158.	अ0सू0-22	श्री रामदास सोरेन	बन्द योजनाओं को चालू कराना।	जल संसाधन	25.07.24
159.	अ0सू0-15	डॉ0 लम्बोदर महतो	निर्माण कार्य आरंभ कराना	जल संसाधन	25.07.24
160.	अ0सू0-19	सुश्री अम्बा प्रसाद	बिजली उपलब्ध कराना।	ऊर्जा	25.07.24
161.	अ0सू0-41	श्री अमित कुमार यादव	कर्मियों की सेवा नियमित करना।	महिला बाल वि0 एवं सा0 सुरक्षा	27.07.24
162.	अ0सू0-12	श्री सुखराम उराँव	छात्रावास की मरम्मति।	अनु0जाति,अनु0 जनजाति,अल्प0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	25.07.24
* 163.	अ0सू0-47	श्रीमती पुष्पा देवी	सिंचाई सुविधा मुहैया कराना।	जल संसाधन	27.07.24
* 164.	अ0सू0-04	श्री अमित कुमार मंडल	घोषणाओं का क्रियान्वयन।	महिला बाल वि0 एवं सा0 सुरक्षा	25.07.24
165.	अ0सू0-02	श्री सुखराम उराँव	अंडरग्राउंड तार बिछाना।	ऊर्जा	25.07.24

कृ0पृ0उ0...../0

नोट *163. जल संसाधन विभाग के पत्रांक-4750, दिनांक-30.07.2024 के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में स्थानान्तरित।

01	02	03	04	05	06
166.	अ0सू0-39	श्री किशुन कुमार दास	राहत दिलाना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	27.07.24
167.	अ0सू0-48	श्री अमित कुमार मंडल	योजना का लाभ देना।	खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	27.07.24
168.	अ0सू0-44	श्री अनन्त कुमार ओझा	दोषियों पर कार्रवाई।	महिला बाल वि0 एवं सा0 सुरक्षा	27.07.24
169.	अ0सू0-34	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	स्थायी नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित करना।	ऊर्जा	27.07.24
170.	अ0सू0-42	श्री राजेश कच्छप	दोषियों पर कार्रवाई।	ऊर्जा	27.07.24
171.	अ0सू0-43	श्री राजेश कच्छप	निःशक्तता आयुक्त की नियुक्ति।	महिला बाल वि0 एवं सा0 सुरक्षा	27.07.24
172.	अ0सू0-38	श्री बिरंची नारायण	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	27.07.24
173.	अ0सू0-45	श्री अनन्त कुमार ओझा	जल निस्सरण का कार्य।	जल संसाधन	27.07.24
174.	अ0सू0-24	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	हाईमास्ट लाईट लगाना।	ऊर्जा	26.07.24
175.	अ0सू0-20	सुश्री अम्बा प्रसाद	राशनकार्ड की रिक्ति में सुधार।	खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	25.07.24
176.	अ0सू0-07	श्री दशरथ गागराई	विद्यालय भवन का निर्माण।	अनु0जाति,अनु0 जनजाति,अल्प0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	25.07.24
177.	अ0सू0-35	श्री कमलेश कुमार सिंह	सोलरपार्क की स्थापना।	ऊर्जा	27.07.24
178.	अ0सू0-28	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	ग्रीनकार्ड सदस्यों की संख्या बढ़ाना।	खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	26.07.24
179.	अ0सू0-06	श्री प्रदीप यादव	उपभोक्ताओं को लाभ।	ऊर्जा	25.07.24
180.	अ0सू0-23	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	सेवा बहाल करना।	महिला बाल वि0 एवं सा0 सुरक्षा	26.07.24
181.	अ0सू0-03	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	राशन उपलब्ध कराना।	खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	25.07.24

राँची,
दिनांक- 01 अगस्त, 2024 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ030....../04

नोट:-
* 174- ऊर्जा विभाग के ज्ञापांक-1444, दिनांक-29.07.2024 के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरित एवं
नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक-2913, दिनांक-30.07.2024

ज्ञाप संख्याः- झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020-3479/वि0स0,राँची,दिनांक- 30/07/24

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

30/07/24

(सुरेश रजक)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः- झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020-3479/वि0स0,राँची,दिनांक- 30/07/24

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक,आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

30/7/24

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः- झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020-3479/वि0स0,राँची,दिनांक- 30/07/24

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति/शाखा एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

30/7/24

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

शंकर/-

29.07.24

(135)

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–40 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड, तेनुघाट में श्री कृष्ण कुमार सिंह, लेखा उप निदेशक का त्याग पत्र स्वीकार किया गया और पुनः 2 वर्ष बीत जाने के बाद बिना विज्ञापन प्रकाशित किये नियम विरूद्ध इन्हें लेखा उप निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है, जो नियम विरूद्ध है;	अस्वीकारात्मक। श्री कृष्ण कुमार सिंह की नियुक्ति ते0वि0नि0लि0, राँची में खुले विज्ञापन के माध्यम से वर्ष 2012 में लेखा पदाधिकारी के स्वीकृत एवं रिक्त पद के विरूद्ध, लेखा पदाधिकारी (सामान्य) के पद पर हुई थी। श्री सिंह के द्वारा IPGL में चयन होने के पश्चात् अपने पत्र दिनांक 10.01.2020 के द्वारा उचित माध्यम से IPGL में उक्त पद पर योगदान देने हेतु त्याग–पत्र स्वीकृत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत, पत्रांक 1544/19–20 दिनांक 17.01.2020 के द्वारा स्वीकृत करते हुए, इन्हें विरमित किया गया। श्री सिंह द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.12.2020 के द्वारा पारिवारिक समस्याओं का हवाला देते हुए, उप लेखा निदेशक के पद पर ते0वि0नि0लि0, राँची में पुनः योगदान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात सारी विहित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए गहनाधिकार (Lien) के आधार पर श्री सिंह को उप लेखा निदेशक के पद पर पुर्नवापसी की गई। पूर्व में भी श्री सुन्दर मुर्मू, सहायक कार्यपालक अभियंता की Lien के आधार पर पुर्नवापसी की गई है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अवैध रूप से नियुक्त श्री कृष्ण कुमार सिंह, लेखा उप निदेशक की सेवा समाप्त करते हुए संलप्ति सभी दोषी पदाधिकारियों को दंडित करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1480 / दिनांक 31/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकीम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

(136)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.08.2024 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–09 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता–श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता–मा0 मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के कृषि क्षेत्र में अहम भूमिका निभानेवाले आत्मा कर्मी वर्षो से निष्ठापूर्वक अपनी सेवा देते आ रहे हैं;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि अनुबंध पर नियुक्त आत्मा कर्मी समय समय पर अपनी सेवा स्थायीकरण हेतु मांग उठाते रहें हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। आत्मा कर्मियों द्वारा स्थायीकरण नहीं बल्कि समायोजन की माँग की गयी है। इनका चयन संविदा आधारित सेवा हेतु योजना अवधि पर्यन्त मात्र के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6069 दिनांक–21.10.2009, संकल्प ज्ञापांक–2711 दिनांक–24.08.2010, संशोधित संकल्प ज्ञापांक–2427 दिनांक–11.08.2014, शुद्धि–पत्र ज्ञापांक–2885 दिनांक–30.07.2015, शुद्धि–पत्र ज्ञापांक–3020 दिनांक–19.08.2016 तथा भारत सरकार की GUIDELINES FOR MODIFIED 'SUPPORT TO STATE EXTENSION PROGRAMMES FOR EXTENSION REFORMS' SCHEME 2010 की कंडिका–2.2(i) एवं ATMA Guidelines, 2014 under NMAET की कंडिका–2.9(ii) के आलोक में समय–समय पर की गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त कर्मियों की सेवा स्थायीकरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	वर्त्तमान में आत्मा कर्मियों के समायोजन की माँग पर गुण–दोष के आधार पर विभागीय समीक्षा की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–04 / कृ0वि0स0(अ0सू0)–20 / 2024 1796 /कृ0, राँची, दिनांक– 31/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–3262 दिनांक–25.07.2024 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/2024

(विजय कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–04 / कृ0वि0स0(अ0सू0)–20 / 2024 1796 /कृ0, राँची, दिनांक– 31/07/2024

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची / विशेष सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची / नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची / उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/2024

सरकार के अवर सचिव।

(137)

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2024 को विधान सभा में पूछा जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 01 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन चार वर्षों से नहीं होने के कारण लगभग 5000 से ज्यादा मामले लंबित है ;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य महिला आयोग के समक्ष सम्प्रति कुल 3137 मामले विचाराधीन हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण आयोग के 14 कर्मियों का वेतन लंबित है, जिनमें से एक की मृत्यु भी हो गई है ;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य महिला आयोग, राँची के कार्यालय में दिनांक–06.09.2020 तक इन 14 कर्मियों की सेवा विस्तारित की गई थी तथा उक्त अवधि हेतु इन्हें पारिश्रमिकी भुगतान किया जा चुका है। कर्मी के मृत्यु के संबंध में विभाग को सूचना प्राप्त नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार महिला आयोग का गठन कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन सम्प्रति राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04 / म0स0 / विधान सभा–196 / 2024 – 1756 राँची, दिनांक : 31.07.2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3268 / वि0स0 दिनांक–25.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.7.24

(प्रीति सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

डॉ० लम्बोदर महतो, माननीय ०स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2024 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित सं०–13 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत पेटरवार प्रखण्ड क्षेत्रान्तर्गत तेनुघाट में बांध प्रमण्डल, तेनुघाट के द्वारा तेनुघाट डैम से पेटरवार, कसमारा तथा गोमिया प्रखण्ड के कई गाँवों में हजारों किसानों के सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिरसा मुण्डा तेनुघाट मेगा लिफ्ट ईरिगेशन योजना की स्वीकृति की प्रक्रिया विभाग में लंबित है।	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	बोकारो जिलान्तर्गत पेटरवार प्रखण्ड में अवस्थित तेनुघाट जलाशय से सिर्फ पेटरवार प्रखण्ड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिरसा मुण्डा पेटरवार मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का PPR सूत्रण के क्रम में Terms of Reference (TOR) की स्वीकृति विभागान्तर्गत विचाराधीन है। कसमार तथा गोमिया प्रखण्ड में तेनुघाट जलाशय से मेगालिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु, कमांड क्षेत्र का विस्तृत आकलन के उपरान्त ही प्रस्ताव तैयार करना संभव हो पायेगा । बजट उपबंध एवं क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए उक्त बिरसा मुण्डा पेटरवार मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का PPR का सूत्रण तथा तत्पश्चात योजना की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–14/2024– 4734 **/राँची, दिनांक** 30/07/24

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्र संख्या–3279, वि०स० दिनांक–25.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अवर सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/24

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(139)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 01.08.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू० 16 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री उमाशंकर अकेला
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री बन्ना गुप्ता
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग. झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि खरीफ विपणन मौसम 2019–20 एवं 2020–21 झारखण्ड राज्य के पैक्स द्वारा अधिप्राप्त धान के परिवहन में हुए व्यय एवं धान अधिप्राप्ति के फलस्वरूप कमीशन की राशि का भुगतान अधिकांश पैक्स को अभी तक नहीं किया गया है;	• किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु चयनित पैक्स/लैम्पस/ व्यापार मंडल आदि अधिप्राप्ति केन्द्र के रूप में कार्य करते है। धान क्रय के विरूद्ध ऐसे अधिप्राप्ति केन्द्रों को क्रय किये गये धान के विरूद्ध 31.25 प्रति क्विंटल दर से कमीशन राशि तथा परिवहन किये जाने के स्थिति में परिवहन शुल्क का भुगतान किया जाता है। खरीफ विपणन मौसम 2019–20 में एवं 2020–21 में अधिप्राप्ति केन्द्रों को कमीशन मद में क्रमशः रूपये 3,20,10,752.00 (तीन करोड़ बीस लाख दस हजार सात सौ बावन रूपये मात्र) एवं रूपये 6,94,61,053.69 (छः करोड़ चौरान्बे लाख एकसठ हजार तिरपन रूपये एवं उनहत्तर पैसे) यानि कुल रूपये 10,14,71,805.69 (दस करोड़ चौदह लाख एकहत्तर हजार आठ सौ पाँच रूपये उनहत्तर पैसे मात्र) का भुगतान किया गया था तथा धान एवं सी.एम.आर. के परिवहन मद में क्रमशः रूपये 24,06,02,817.54 (चौबीस करोड़ छः लाख दो हजार आठ सौ सतरह रूपये एवं चौवन पैसे मात्र) एवं रूपये 27,53,78,354.00 (सताईस करोड़ तिरपन लाख अठहत्तर हजार तीन सौ चौवन रूपये मात्र) यानि कुल रूपये 51,59,81,171.54 (एकावन करोड़ उनसठ लाख इक्कासी हजार एक सौ एकहत्तर रूपये चौवन पैसे मात्र) का भुगतान किया गया था। उक्त भुगतान के विरूद्ध भारतीय खाद्य निगम से खरीफ विपणन मौसम 2019–20 एवं 2020–21 में अधिप्राप्ति केन्द्रों के कमीशन मद में मात्र रूपये 3,23,50,869.32 (तीन करोड़ तेईस लाख पचास हजार आठ सौ उनहत्तर रूपये बत्तीस पैसे मात्र) तथा परिवहन मद रूपये 52,85,295.00 (बावन लाख पचासी हजार दो सौ पन्चानबे रूपये मात्र) की प्रतिपूर्ति हो पायी है। • भारतीय खाद्य निगम से प्रतिपूर्ति में कठिनाई होने के कारण विभागीय संकल्प संख्या 802, दिनांक 11.03.2024 के माध्यम से धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत विभिन्न हितधारकों (राईस मिलर/ अधिप्राप्ति केन्द्रों/परिवहन अभिकर्ता आदि) के लंबित भुगतान हेतु रूपये 1,32,00,00,000/–(एक सौ बत्तीस करोड़ रूपये मात्र) का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधानित राशि आवंटनादेश

	संख्या 48 (आवंटन), दिनांक 21.03.2024 द्वारा झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को उपलब्ध करा दी गई है। आवंटन के आलोक में भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बकाया परिवहन एवं कमीशन की राशि का अविलम्ब भुगतान कराते हुए विलंब के कारणों तथा कितने पैक्स को भुगतान आज तक नहीं किया गया है, बताना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–23/2024 1829 /राँची, दिनांक 31/7/24

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 3270, दिनांक 25.07.2024 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/24
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

(140)

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 01.08.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू० 05 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री प्रदीप यादव
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री बन्ना गुप्ता
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून" से आच्छादित लाभूकों के अलावे "झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना" से अन्यू छूटे गरीबों के लिए भी 15 लाख "ग्रीन कार्ड" की व्यवस्था की है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सम्प्रति इस योजनान्तर्गत लाभुकों का लक्ष्य 20,00,000 लाभुक है।
(2) क्या यह बात सही है कि ग्रीन कार्डधारियों को प्रतिमाह अनाज न मिल पाने के कारण स्थानीय प्रशासन को आक्रोश का सामना करना पड़ता है;	झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत प्रारंभ में भारतीय खाद्य निगम के Open Market Sales Scheme (D) से चावल की प्राप्ति करते हुए खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने में असमर्थता व्यक्त किये जाने पर इस योजनान्तर्गत लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण प्रभावित हुआ था। तत्पश्चात निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्त्ता का चयन करते हुए योजना संचालित की गई जिसमें प्रक्रियागत विलंब हुआ। वर्तमान में धान अधिप्राप्ति योजना से प्राप्त चावल का नियमित वितरण झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों के बीच किया जा रहा है, जिसके तहत सम्प्रति माह सितम्बर, 2023 के लिए वितरण कार्य जारी है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत वितरण किये गये खाद्यान्न (चावल) की मात्रा निम्नवत् है :– (मात्रा क्विंटल में)

माह जिसमें वितरण कार्य किया गया है।	माह जिसके लिए वितरण किया गया	वितरित मात्रा	लाभांवित होने वाले परिवारों की संख्या
मार्च एवं अप्रैल, 2024	जून, 2023	52,651.15	4,62,479
अप्रैल एवं मई, 2024	जुलाई, 2023	52,760.22	4,59,545
मई एवं जून 2024	अगस्त, 2023	53,875.82	4,56,241
जून एवं जुलाई, 2024	सितम्बर, 2023	49,861.09	4,56,619

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोई ठोस नीति बनाकर प्रत्येक माह गरीबों को ससमय अनाज उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण विलंब से परन्तु नियमित रूप से किया जा रहा है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–22/2024 1832 /राँची, दिनांक 31/7/24

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–3272, दिनांक 25.07.2024 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/2024

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 01.08.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू० 29 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री सरयू राय
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री बन्ना गुप्ता
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग. झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् अनुदानित दर पर भेजे गये खाद्यान्नों को एफसीआई गोदाम से निगम के गोदाम तक लाने और वहाँ से राशन दुकानों तक वितरित करने का दायित्व निगम पर है। साथ ही, निगम, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित दर पर उपलब्ध धोती–साड़ी– लुंगी, नमक, चीनी, दाल आदि का वितरण भी करता है।	आंशिक स्वीकारात्मक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम से अनुदानित दर पर प्राप्त होने वाले खाद्यान्न को भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड के गोदामों तक पहुँचाने का दायित्व झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड का है। झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड के गोदाम तक नमक, चीनी का परिवहन चयनित आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जाता है। दाल का परिवहन झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड के गोदाम तक नाफेड द्वारा किया जाता है। झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड के गोदाम से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक खाद्यान्न एवं नमक, चीनी का परिवहन उपायुक्त द्वारा चयनित डोर स्टेप डिलिवरी के परिवहन अभिकर्त्ताओं द्वारा किया जाता है। धोती/लुंगी, साड़ी चयनित आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रखण्ड स्तरीय गोदामों में पहुँचाया जाता है एवं उन गोदामों से धोती/लुंगी, साड़ी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा प्राप्त की जाती है।
(2) क्या यह बात सही है कि राज्य खाद्य निगम के पास मानव बल की कमी के कारण वितरण के बाद निगम के गोदामों में तथा राशन डीलरों के पास काफी मात्रा में अनाज बचा हुआ रह जाता है और धोती–साड़ी–लुंगी, नमक, चीनी, दाल आदि भी बचा रहा जाता है;	अस्वीकारात्मक। वर्त्तमान में जन वितरण प्रणाली दुकानों से जो लाभुक सामग्री का उठाव नहीं करते हैं उन लाभुकों की उक्त सामग्री संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकान पर अल्पकाल के लिए अवशेष बच जाती है, जिसका समायोजन संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार के आगामी Allocation से किया जाता है। वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से जन वितरण प्रणाली दुकानदार को सामग्री की डोर स्टेप डिलिवरी उपरोक्त वर्णित समायोजन के पश्चात् की जाती है। उदाहरणस्वरूप वर्त्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न का इंडेंट अवशेष खाद्यान्न के समायोजन के पश्चात् प्रेषित किया जाता है। इसी प्रकार झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत चावल का इंडेंट झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को अवशेष चावल के समायोजन के पश्चात् भेजा जाता है। सोना–सोबरन धोती साड़ी योजना अंतर्गत आपूर्तिकर्त्ता को इंडेंट अवशेष सामग्री के समायोजन के पश्चात् प्रेषित किया जाता है। मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना अन्तर्गत दाल का इंडेंट नाफेड को अवशेष दाल के समायोजन के पश्चात् प्रेषित किया जाता है। इस प्रकार अवशेष सामग्री का नियमित समायोजन होने के फलस्वरूप सामान्यतः झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदामों एवं जन वितरण प्रणाली की दुकानों में दीर्घकाल में सामग्री बची नहीं रह जाती है तथा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के मानव संसाधन की कमी इस संबंध में प्रासंगिक नहीं है।

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि राज्य खाद्य निगम के गोदामों में तथा राशन डीलरों के पास उपर्युक्त सामग्रियों की कितनी मात्रा दिसम्बर–2014 में एवं दिसम्बर–2019 में अवशेष थी और कितनी मात्रा जून–2024 तक अवशेष है ?	इस संबंध में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड के पत्रांक–2023, दिनांक 29.07.2024 एवं खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड का पत्रांक–899, दिनांक 29.07.2024 द्वारा सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी से प्रतिवेदन की माँग की गई है। इस प्रकार के एक अन्य मामले में विभागीय आदेश ज्ञापांक–1802 दिनांक 29.07.2024 द्वारा जाँच दल का गठन किया गया है। सम्प्रति प्रतिवेदन अप्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–26/2024 1836 /राँची, दिनांक 31/7/24

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 3327, दिनांक 26.07.2024 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/24
सरकार के अवर सचिव।

142

श्रीमती सुनिता चौधरी, स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2024 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–25 की उत्तर सामग्रीः–

क्र०	प्रश्न	माननीय विभागीय मंत्री का उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राएँ स्नातक स्नातकोतर की पढ़ाई शहरी क्षेत्र में रहकर करते है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक एक भी छात्रावास नहीं बनाया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ शहर में छात्र–छात्राओं के लिए छात्रावास नहीं रहने के कारण निजी मकानों में किराये पर रहकर पढाई करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार रामगढ़ शहर में छात्रों के लिए ब्यॉज छात्रावास और छात्राओं के लिए गर्ल्स छात्रावास निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–1966, दिनांक–29.07.2024 द्वारा उपायुक्त, रामगढ़ से रामगढ़ जिला मुख्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण की आवश्यकता होने पर तदनुसार 50/100/150/200 शय्या के छात्रावास निर्माण हेतु भूमि प्रतिवेदन की मांग की गयी है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

Bankey 31.07.2024

(विनोद कुमार बाँके)
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक–05/वि०स०(छात्रावास)–07/2024 ·1997 राँची, दिनांक– 31/07/2024

प्रतिलिपि– प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–3329, दिनांक–26.07.2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Bankey 31.07.2024

सरकार के उप सचिव।

(143)

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2024 को विधान सभा में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 08 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में कुल 38,432 आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे है, इसमें से 13,982 (37%) केन्द्रों के पास अपना भवन नहीं है ;	स्वीकारात्मक। 1. राज्य में संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों में सं 13,982 आँगनबाड़ी केन्द्रों के पास अपना भवन नहीं है। 2. इसमें से 11,229 आँगनबाड़ी केन्द्र किराया भवन में तथा 2,753 केन्द्र स्कूल/पंचायत/ सामुदायिक केन्द्र जैसे सरकारी भवनों में संचालित है। 3. वर्त्तमान में 6,949 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन स्वीकृत हैं जिनमें से :– क) 787 केन्द्र भवन में निर्माण हो चुका है ; ख) 3,295 केन्द्र भवन में निर्माण कार्य प्रगति पर हैं ; ग) 2,867 केन्द्र भवन में निर्माण कार्य प्रारंभ की जानी है ; 4. शेष 7,033 आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों में अपना भवन की व्यवस्था मनरेगा अभिसरण में कराया जायेगा। इसके तहत् वर्त्तमान में 3,480 आँगनबाड़ी केन्द्र में भवन निर्माण हेतु राशि समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड को उपलब्ध कराई जा चुकी है।
2.	क्या यह बात सही है कि 21 जिलों में 787 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन बनकर तैयार है ;	स्वीकारात्मक। निर्मित इन सभी भवनों में आँगनबाड़ी केन्द्र का संचालन हेतु हस्तांतरण की कार्रवाई संबंधित उपायुक्त के माध्यम से कराई जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार निर्मित आँगनबाड़ी केन्द्रों को चालु कर शेष 13,189 आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में यथा वर्णित।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04/म0स0/विधान सभा–197/2024 – 1758 राँची, दिनांक : 31.07.2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3267/वि0स0 दिनांक–25.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.7.24

(प्रीति सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

(44)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 01.08.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू० 30 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री विनोद कुमार सिंह
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री बन्ना गुप्ता
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग. झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला में खाद्यान्न वितरण की प्रारंभिक जाँच में 87 हजार क्विंटल अनाज के लैप्स की रिपोर्ट आई जबकि गोदाम से उठाव दिखाया जा रहा है, लेकिन पी डी एस सेंटर तक अनाज नहीं पहुँच पाया;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गिरिडीह के ज्ञापांक–929, दिनांक 07.12.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि गिरिडीह जिलान्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के कई गोदामों में संबंधित सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा कुल 86,990 क्विंटल खाद्यान्न बैकलॉग होने संबंधी प्रतिवेदन पर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड से अनुरोध किया गया है।
(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त गैप के कारण गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंडों में अभी तक नियमित और समय से अनाज का वितरण नहीं हो पा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक–1035, दिनांक 30.07.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गिरिडीह जिला के प्रखण्ड–जमुआ, धनवार एवं बिरनी को छोड़कर सभी प्रखण्डों में नियमित उठाव एवं वितरण हो रहा है। अवधि विस्तार के उपरांत जिला का मासिक वितरण चक्र (Monthly Distribution Cycle) राज्य स्तर के लक्ष्य के अनुरूप औसतन प्राप्त हो जाता है।
(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जाँच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई रही है, साथ ही, गिरिडीह जिला अनाज के नियमित और समय से अनाज वितरण हेतु ठोस उपाय करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं हो क्यों ?	गिरिडीह जिलान्तर्गत खाद्यान्न के कालाबाजारी एवं भ्रष्टाचार संबंधी मामले की जाँच हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक–3118, दिनांक 30.10.2023 द्वारा जाँच दल का गठन किया गया। विभागीय पत्रांक–457, दिनांक 22.02.2024 के माध्यम से उक्त जाँच दल द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसके आलोक में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस मामले में दोषी पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित कर उनके विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई की जायेगी।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–27/2024 1835 /राँची, दिनांक 31/7/24

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 3325, दिनांक 26.07.2024 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/24
सरकार के अवर सचिव।

(145)

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–14 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि ऊर्जा विभाग ने अपने ज्ञापांक–1542 दि०–02.08.2023 द्वारा 2024 में अड़की प्रखण्ड के बिरबांकी में सब स्टेशन का निर्माण का निर्णय लिया है जो अब तक नहीं कराया गया है;	अस्वीकारात्मक। वार्षिक विकास योजना में शामिल कर वित्तीय वर्ष 2025–26 में पूर्ण करने की योजना है।
2. क्या यह बात सही है कि तमाड़ विधान सभा क्षेत्र के कई ग्रामों में वर्त्तमान में 40 से अधिक ट्रांसफार्मर खराब पड़े है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि तमाड़ विधान सभा क्षेत्र में एक TRW स्थापित कर दिया जाए तो ट्रांसफार्मर से संबंधित कार्यों का निष्पादन शीघ्र होगा तथा राँची या खूँटी की दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी;	तमाड़ विधान–सभा क्षेत्र में टी०आर०डब्ल्यू० स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तमाड़ विधान सभा में एक TRW स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्ष 2025–26 में इसे निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1472 / दिनांक 31/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकीम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

(146)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–31 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के गाँवा प्रखण्ड (गदर) में 50X2 का 132/33 ग्रिड सब–स्टेशन वर्ष 2021 तक बनना था;	स्वीकारात्मक।
2) क्या यह बात सही है कि सब–स्टेशन के निर्माण से धनवार, गांवा, तिसरी को विद्युत आपूर्ति में सुविधा होंगे जो वर्ष 2024 में आज तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है;	स्वीकारात्मक।
3) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार यथाशीघ्र कार्य पूर्ण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	गिरिडीह जिला के गाँवा प्रखण्ड में 132/33 के०वी० 2X50 MVA ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण कार्य वर्ष 2022 में पूर्ण कर लिया गया है। परन्तु ग्रिड को जोड़ने वाली 132 के०वी० जमुआ–गाँवा संचरण लाईन का निर्माण कार्य वनापत्ति अप्राप्त रहने के कारण पूर्ण नहीं हो पाई है। वनापत्ति प्राप्त होते ही संचरण लाईन का निर्माण कार्य पूर्ण कर ग्रिड को चालू कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1476 / दिनांक 31/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकीम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

147

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं॰–अ॰सू॰–32 का उत्तर प्रतिवेदन

<table>
<tr><th>प्रश्नकर्त्ता
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा०स०वि०स०</th><th>उत्तरदाता
विभागीय मंत्री</th></tr>
<tr><td>1. क्या यह बात सही है कि सरकार तेनुघाट विद्युत निगम लि० (टी०वी०एन०एल०) से जिस दर पर बिजली क्रय करती है उसकी अपेक्षा निजी/केन्द्रीय संस्थान बिजली उत्पादक कंपनियों से कहीं अधिक दर पर बिजली क्रय करती है;</td><td>अस्वीकारात्मक।

तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टी०वी०एन०एल०) का टैरिफ निर्धारण झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, राँची द्वारा तय किया जाता है एवं केन्द्रीय संस्थान जैसे एन०टी०पी०सी० के टैरिफ निर्धारण केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में टी०वी०एन०एल० एवं एन०टी०पी०सी० का औसत विद्युत क्रय क्रमशः 4.22 एवं 3.78 रू०/यूनिट है।
सुलभ प्रसंग हेतु झारखण्ड राज्य वितुद्य नियामक आयोग द्वारा पिछले दो वित्तीय वर्ष में निर्धारित दर निम्नवत् हैः–

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>वित्तीय वर्ष</th><th>निर्धारित दर (रु0/kwh)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2022–23</td><td>4.17</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2023–24</td><td>4.22</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2. क्या यह बात सही है कि सरकार के पास बिजली की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये निजी क्षेत्र से बिजली खरीदने के बजाय टी०वी०एन०एल० का विस्तारीकरण करने की कोई योजना है;</td><td>स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार टी०वी०एन०एल० के द्वितीय चरण के लिये पूर्ण स्वीकृत 2 X 660 मेगावाट के विस्तारीकरण को कार्यान्वित करने पर विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार से आवश्यक Terms of Reference (ToR) आदि औपचारिकताओं की मंजूरी प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के 2 X 660 मेगावाट के विस्तारीकरण परियोजना का क्रियान्वयन Joint Venture (J.V.) के माध्यम से करने के विषय पर अध्ययन हेतु विभागीय कार्यालय आदेश सं०–64, दिनांक–28.06.2024 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। समिति की अनुशंसा के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1468 / दिनांक 31/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकीम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

D:\WIP\Vihan Sabha (Question & Answer)\Mansoon 2024\Answer.docx 1

148

श्रीमती पुष्पा देवी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.08.2024 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–46 का उत्तर।

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1– क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के पाटन, छत्तरपुर सहित पुरे पलामू जिले में निलगाय के आतंक से वहाँ के किसान काफी परेशान है;</td><td>स्वीकारात्मक।
पलामू रीजन के अधीन पलामू जिलान्तर्गत पाटन, छतरपुर प्रखण्डों में नीलगायों की समस्या है।</td></tr>
<tr><td>2– क्या यह बात सही है कि जिले के किसान कर्ज लेकर खेती करते है जिसे निलगायों के द्वारा नष्ट कर दी जाती है किसान कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में मानसिक तनाव में रह रहे है एवं पलायन करने को मजबूर है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
किसानों की नीलगायों द्वारा नष्ट हुए फसलों का वन क्षेत्र पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी से स्थलीय जांचोपरान्त वन विभागीय अधिसूचना सं0–2265 दिनांक 15.06.2023 के आलोक में नष्ट हुए फसलों का मुआवजा भुगतान किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>3– क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा अभी तक किसानों को मुआवजा राशि नहीं दिया गया जिससे किसान कर्ज के दबाव में अब खेती करना छोड़ रहे है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
विगत तीन वर्षों में मेदिनीनगर वन प्रमण्डल अन्तर्गत प्रभावित किसानों को भुगतान की गयी राशि का विवरण निम्नवत् है :–
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>वर्ष</th><th>राशि (रू०)</th><th>किसानों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2021–22</td><td>1974390.00</td><td>162</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2022–23</td><td>8612280.00</td><td>604</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2023–24</td><td>5470280.00</td><td>554</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल :–</td><td>16056950.00</td><td>1320</td></tr>
</table>
मेदिनीनगर प्रमण्डल द्वारा विगत तीन वर्षों में कुल 1320 किसानों को 16056950.00 रू० का भुगतान जांच के द्वारा सत्यापित दावों के आधार पर किया गया है शेष मामलों का सत्यापन कार्य पूर्ण होते ही भुगतान कर दिया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पाटन–छत्तरपुर सहित पुरे पलामू जिले के किसानों को निलगाय के द्वारा नष्ट कि गई फसलों के बदले में उचित मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>किसानों के नष्ट हुए फसलों का वन क्षेत्र पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी से स्थलीय जांचोरान्त वन विभागीय अधिसूचना सं0–2265 दिनांक 15.06.2023 के आलोक में नष्ट हुई फसलों का मुआवजा भुगतान किया जाता है। भुगतान का सारांश खण्ड (3) में दिया गया है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अल्पसूचित प्रश्न–47/2024– 2988 व0प0, दिनांक–29/7/24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–3439, दिनांक–27.07.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

149

श्री केदार हाजरा, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.08.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–18 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्रं०	प्रश्न	माननीय विभागीय मंत्री का उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत जमुआ विधानासभा के देवरी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत भेलवाघाटी में आश्रम विद्यालय भवन वर्ष 2021 में बनकर तैयार है;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि भवन निर्माण के कार्य पूर्ण होने के बाद विभाग को आश्रम विद्यालय हस्तगत करा दिया गया है;	स्वीकरात्मक
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त आश्रम विद्यालय भेलवाघाटी देवरी में पढ़ाई अविलम्ब प्रारम्भ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि पढ़ाई अविलम्ब प्रारम्भ करने के निमित छात्रों का नामांकन प्रक्रिया जारी है। अगस्त, 2024 से शिक्षण कार्य प्रारम्भ कर दी जायेगी।

29.7.24

(सुधीर बाड़ा)
सरकार के विशेष सचिव।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक–04 / वि०स०प्र०–03 / 2024 - 1980 राँची, दिनांक– 29/07/2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3265, दिनांक–25.07.2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.7.24

सरकार के विशेष सचिव।

150

श्री सरयु राय, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–27 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	प्रश्न	माननीय मंत्री अनु०ज०जा०,अनु०जा० एवं पि० वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड का उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर पूर्वी विधान–सभा क्षेत्र अंतर्गत बाबुडीह में जाहेरस्थान एवं श्मशान भूमि घेराबंदी की योजना प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिल पाने के कारण लागू नहीं हो पा रही है ?	अस्वीकारात्मक। जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–1415, दिनांक–30.07.2024 द्वारा प्रतिवेदित है कि योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।
2	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में करीब एक दर्जन जाहेरस्थान एवं घेराबंदी और सौन्दर्यीकरण की योजना भूमि चयनित हो जाने के बावजुद क्रियान्वित नहीं रही है ?	भूमि चयनित है। भूमि टाटा लीज या अन्य किसी निजी कंपनी के लीज से संबधित होने के कारण उस भूमि पर योजना कार्य कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र तद्संबंधी कम्पनी से प्राप्त नहीं है। जिसके कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन आरंभ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	टाटा या अन्य किसी निजी कंपनी के लीज से संबधित भूमि यदि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अभिलेख में खतियानी दर्ज हो तो योजना कार्य कराने हेतु संबंधित कम्पनी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये योजना क्रियान्वयन आरंभ कराने का मार्ग निदेश पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिला को दिया गया है।

31.7.24

(सुधीर बाड़ा)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–07/वि०स०अल्प०–02/2024 - 2013 राँची, दिनांक– 31/07/2024

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०– 3330, दिनांक– 26.07.2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

31.7.24

सरकार के विशेष सचिव।

151

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2024 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के भवनाथपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सोन नदी पाईप लाईन सिंचाई योजना का कार्य वर्ष 2018 से प्रारंभ किया गया है।	अस्वीकारात्मक। सोन कनहर पाइपलाइन सिंचाई योजना का कार्य वर्ष 2019 से प्रारंभ किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि एल०एन०टी० कम्पनी को कार्य पूर्ण करके वर्ष 2023 तक किसानों के खेतों में पानी देने का लक्ष्य निर्धारित था।	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि लगभग 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सोन नदी पाईप लाईन सिंचाई योजना को पूर्ण कराकर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में किसानों के खेत में पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	कार्य की भौतिक प्रगति लगभग 68 प्रतिशत है। वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति एवं SAIL Area, Bhawnathpur में पाईपलाईन बिछाने हेतु अनापति प्रमाण पत्र के अभाव में कार्य की प्रगति प्रभावित रही है। वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति एवं SAIL Area, Bhawnathpur का अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर योजना को दिनांक–30.06.2025 तक पूर्ण कर किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–12/2024 – 4736 **/राँची, दिनांक** 30/07/24–

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3281, वि०स० दिनांक–25.07.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/24

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

F:\Note S\vidhan Sabha\Uday - 2024\A-S-17 -Bhanu Partap Sahi.docx

152

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.08.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–33 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री कमलेश कुमार सिंह, मा0स0वि0स0, झारखण्ड	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0 मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के हुसैनाबाद प्रखंड के दंगवार पंचायत में 5000 मैट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्णित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य अक्टूबर, 2023 में सम्पन्न करा लिया गया, परन्तु 24 जुलाई, 2024 तक निर्माण कार्य कराने वाले एजेंसी के द्वारा हस्तानांतरण नहीं किए जाने के कारण कोल्ड स्टोरेज का लाभ यहाँ के किसानों को नहीं मिल पा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्णित कोल्ड स्टोरेज के संचालन एवं प्रबंधन हेतु संचालक एजेंसी का चयन करने के लिए क्रमशः वेजफेड कार्यालय के पत्रांक–337 दिनांक–26.08.2022, पत्रांक–423 दिनांक–14.10.2022, पत्रांक–13 दिनांक–09.01.2023, पत्रांक–344 दिनांक–25.07.2023 एवं पत्रांक–497 दिनांक–13.10.2023 के द्वारा निविदा का प्रकाशन विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों तथा कार्यालय–निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के वेबसाईट–http://cooperative.jharkhand.gov.in पर प्रकाशित किया गया। परन्तु, उक्त वर्णित 5000 एम0टी0 क्षमता के कोल्ड स्टोरेज के संचालन एवं प्रबंधन हेतु किसी भी एजेंसी का निविदा प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण कोल्ड स्टोरेज का हस्तांतरण नहीं हो सका। एजेंसी चयन के लिए पुनः निविदा प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला अंतर्गत दंगवार पंचायत में 5000 मैट्रिक टन क्षमता वाले निर्मित कोल्ड स्टोरेज का हस्तांतरण करा कर चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका–2 के अनुरूप।

840
30.07.2024

ह0/–
(राघवेन्द्र झा)
सरकार के उप सचिव।

कृ0पृ0उ0

D:\S.Murmu\2024-25\Vidhan saba Question.docx

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–03/बजट (वि0स0) अ0सू0–26/2024 सह0 840 **/राँची, दिनांक–** 30.07.202

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0–3437 वि0स0 दिनांक–27.07.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं 200 चक्रलिखित प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.07.24

(राघवेन्द्र झा)

सरकार के उप सचिव।

153

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–10 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में RDSS (संशोधित वितरण क्षेत्र योजना) से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार हेतु कार्य किया जा रहा है परन्तु पांकी विधान–सभा क्षेत्र में RDSS का कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पाया है, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर तार (कंडक्टर), खम्भे आदि भयावह स्थिति में दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** RDSS पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र सुधार योजना के तहत प्रस्तावित कार्य मेसर्स एन०सी०सी०लि० को आवंटित हुआ है एवं इनके द्वारा सर्वे का कार्य किया जा रहा है। दुर्घटना संभावित जर्जर तारों को प्राथमिकता के आधार पर विभाग द्वारा समय–समय पर मरम्मति एवं सुदृढ़िकरण का कार्य किया जाता है।
2. क्या यह बात सही है कि पांकी विधान–सभा क्षेत्र के कई गाँव विद्युतापूर्ति से वंचित है तथा कई गाँवों में ट्रांसफार्मर जले हुए है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** पाँकी विधानसभा क्षेत्र समेत पलामू जिला में 1068 टोलों के विद्युतीकरण हेतु डी०पी०आर० तैयार किया गया है जिसका कार्य मुख्यमंत्री उज्जवल झारखण्ड योजना अन्तर्गत प्रस्तावित है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जर्जर तार, खम्भे तथा जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने तथा विद्युतापूर्ति से वंचित ग्रामों में विद्युतीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	RDSS योजना हेतु चयनित मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड के साथ एकरारनामा दिनांक 29.05.2024 को हो चुका है एवं कार्य समाप्त करने की तिथि मई 2026 निर्धारित है। ट्रांसफार्मर खराब होने एवं उसे बदले जाने का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है तथा खराब हुए ट्रांसफार्मर को बदलने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1471 / दिनांक 31/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकीम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

154

श्री किशुन कुमार दास, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–37 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री किशुन कुमार दास, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि चतरा जिला के टण्डवा में नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना (NTPC) स्थापित होने के बाद भी प्रखण्ड को 24 घंटे में मात्र 6 से 8 घंटा ही बिजली मिल पाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि टण्डवा प्रखण्ड के नॉर्थ कर्णपुरा में डी०भी०सी० से बिजली आपूर्ति हो रही है;	**अस्वीकारात्मक।** परियोजना प्रमुख (नार्थ कर्णपुरा) NTPC Limted का पत्रांक 043 दिनांक 21.06.2024 के द्वारा सूचित किया गया है कि डी०भी०सी० के पिपरवार ग्रीड से लाईन का उपयोग पूर्व में NTPC द्वारा NKSTPP निर्माण कार्य हेतु की जाती थी। परन्तु इस प्लांट से बिजली का उत्पादन शुरू होने के परिणाम स्वरूप उक्त लाइन को बंद कर दिया गया। डी०वी०सी० अपने 132/33 के०वी० उत्तरी कर्णपुरा सब स्टेशन से निम्नलिखित उपभोक्ताओं को फर्म और ओपन एक्सेस मोड में बिजली की आपूर्ति करता है। डी०वी०सी० उत्तरी कर्णपुरा सब स्टेशन पिपरवार क्षेत्र में है, जो टण्डवा प्रखण्ड से लगभग 22 कि०मी० दूर स्थित है।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार टण्डवा प्रखण्ड को डी०भी०सी० के लाईन से टण्डवा सब–स्टेशन को जोड़कर बिजली आपूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	वर्तमान में टण्डवा प्रखण्ड को 132/33 के0भी0 डी०भी०सी० हजारीबाग ग्रीड से 33/11 के0भी0 विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, टण्डवा द्वारा विद्युत आपूर्ति की जा रही है। जो क्रमशः 33/11 के०भी० सिंदूर, डेमोटांड, बड़कागांव एवं केरेडारी से होते हुए 33/11 के0भी0 बुकरू शक्ति उपकेन्द्र से की जाती है। बड़कागांव स्थित पकरी बरवाडीह में 2x65 MVA क्षमता का 220/33 के०भी० ग्रीड सब–स्टेशन का निर्माण कार्य हेतु झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा निगम मुख्यालय स्तर से निविदा की प्रक्रिया की गई है जो प्रक्रियाधीन है। अगले 12 माह में निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, टण्डवा को इस ग्रीड से जोड़ा जायेगा एवं क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति किया जाना निर्धारित किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1479 / दिनांक 31/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकीम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

(155)

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–36 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि वर्तमान में चास, बोकारो सहित राज्यभर में बिजली का वितरण/सप्लाई व्यवस्था विगत 30–40 वर्षों पुराने जनसंख्या के आधार पर ही हो रहा है, जिससे लोड बढ़ने के कारण बार–बार विद्युत सप्लाई के तार टूटते हैं और ट्रांसफार्मर जलते हैं और बिजली उपभोक्ताओं को लो–वोल्टेज की समस्या की समस्या का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि विगत 15–20 वर्षों में विभाग ने झारखण्ड के किसी भी जिले में वहाँ की कुल जनसंख्या/बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या की गणना कर सर्वे नहीं करवाया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तत्काल चास, बोकारो सहित राज्यभर के जिलों का सर्वे कराकर जनसंख्या के अनुपात में बिजली संसाधनों और उपकरणों का इंतजाम कर बिजली की उपरोक्त लचर व्यवस्था को सुधारने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	सभी उपभोक्ताओं के घर–घर जाकर Know Your Consumer (KYC) का कार्य नई चयनित बिलिंग एजेंसी द्वारा आरम्भ किया गया है। जिसे अगले तीन माह में पूर्ण किया जाना तय किया गया है। चास, बोकारो सहित राज्य के जिलों में विद्युत वितरण व्यवस्था लगातार नए ग्रीड तथा पावर सब–स्टेशन ऊर्जान्वित कर दुरूस्त किया जा रहा है तथा आने वाले दो वर्ष के अन्दर व्यापक स्तर पर वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जाना प्रारम्भ किया गया है जो 2026 तक पूरा किया जाना है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1478 / दिनांक 31/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकीम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

156

श्री दशरथ गागराई, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सोना सिंचाई योजना अन्तर्गत खरसावां शाखा नहर से निकलने वाली छः अद्द वितरणियों के जीर्णोद्धार की आवश्यकता है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सोना सिंचाई योजना अन्तर्गत सोना मुख्य नहर से निकलने वाली चार अद्द वितरणियां भी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि इन वितरणियों के बेड में गाद जमा होने जगह–जगह झाड़ी उगने एवं नहर के बैक के अस्तिव समाप्त होने से वितरिणों में कुछ ही दूरी तक जल श्राव पहुँच पाता है;	स्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि वितरणियों के जीर्णोद्धार हेतु कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, चाईबासा द्वारा प्राक्कलन समर्पित किया जा चुका है;	स्वीकारात्मक।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस महत्वाकांक्षी सिंचाई योजना के वितरणियों के ERM कार्य को स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इन वितरणियों के Resectioning एवं संरचनाओं के मरम्मति कार्य कराने पर बजट उपबंध एवं क्षेत्रीय संतुलन के मद्देनजर निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–10/2024 – 4738 /राँची, दिनांक 30/07/24

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 3282 वि०स० दिनांक 25.07.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/24

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

F:\MIS Cell Dept\03.01.2022\Note 5\Vidhan Sabha\July 2024\AS-11 Dashrath Gagrai.doc

(157)

श्रीमती सूनिता चौधरी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–26 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती सूनिता चौधरी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए उपयोग में लाये गये LT एवं HT LINE के तार, पोल, ट्रांसफार्मर जर्जर हो गया है, जिसके कारण प्रायः तार टूटने, पोल गिरने की घटनाएँ घट रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) तथा मुख्यमंत्री उज्जवला योजना के तहत् रामगढ़ जिला का जर्जर तार, पोल, ट्रांसफार्मर बिजली मीटर, इत्यादि बदलना है, जिसका छः माह पूर्व निविदा निस्तारित हो चुका है, लेकिन अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** RDSS योजना हेतु चयनित मेसर्स AKS Enterprises द्वारा सर्वे का कार्य पूरा किया गया है एवं Erection का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री उज्जवल झारखण्ड योजना के लिए मेसर्स Weststone Infra Pvt. Ltd को LOI निर्गत किया गया है एवं अभी सर्वे का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार रामगढ़ जिला के जर्जर तार, पोल, ट्रांसफार्मर, बिजली मीटर इत्यादि शीघ्र बदलने तथा विलम्ब से कार्य करने वाले दोषी एजेंसियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	**स्वीकारात्मक।** (1) RDSS योजना हेतु चयनित मेसर्स AKS Enterprises के साथ एकरारनामा दिनांक 04.06.2024 को हो चुका है एवं कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 05.06.2024 एवं कार्य समाप्त करने की तिथि 04.06.2026 निर्धारित है। (2) मुख्यमंत्री उज्जवल झारखण्ड योजना हेतु मेसर्स Weststone Infra Pvt. Ltd को LOI दिनांक 01.07.2024 को निर्गत किया गया है एवं एकरारनामा प्रक्रियाधीन है। एकरारनामा होने के उपरान्त 18 महीने में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। (3) RDSS योजना का आवंटित कार्य माह जून 2026 में समाप्त होना है तथा मुख्यमंत्री उज्जवल झारखण्ड योजना का कार्य माह जनवरी 2026 में समाप्त होना है। अतः अभी एजेंसी दोषी के दायरे में नहीं आता है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1469 / दिनांक 31/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकीम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

158

श्री रामदास सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–22 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत मुसाबनी प्रखण्ड के (1) तेरेगा पंचायत के कुमीरमुडी (2) सुरदा पंचायत के ग्राम–कछिमधारा एवं मटियालडीह (3) मेढ़ीया पंचायत के डोरा टोला एवं (4) पूर्वी बंदिया पंचायत स्थित पम्पू घाट आदि स्थानों पर स्वर्णरेखा नदी से जल उठाकर उद्वाह सिंचाई योजना (Lift Irrigation) के माध्यम से संबंधित ग्रामों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी जो पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण विगत 15 वर्षो से बन्द है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्णित योजना के बन्द होने से उक्त क्षेत्रों के किसानों का खेती कार्य प्रभावित हो रहा है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित ग्रामों में वर्तमान वित्तीय वर्ष–2024–25 ई० में वर्षो से बन्द उक्त योजना को चालू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों?	प्रश्नगत योजनाओं में से (1) तेरेगा पंचायत के कुमीरमुड़ी में स्वर्णरेखा नदी पर पूर्व से कोई भी योजना अवस्थित नहीं है। यहाँ पर Tribal Development Agency जिला योजना मद से Deep Boring कर एक उद्धवह सिंचाई योजना निर्माण किया गया था। (2) सुरदा पंचायत के ग्राम कछिमधारा एवं मटियालडीह तथा (3) मेढ़िया पंचायत के डोरा टोला–ये योजनाएं लगभग 40 से 45 साल पूर्व बना था। वर्त्तमान में इन स्थानों पर कोई भी अवशेष नहीं है। (4) पूर्वी बंदीया पंचायत स्थित पम्पू घाट पर पूर्व में स्थापित योजना Hindustan Copper Limited (Govt of India) द्वारा निर्मित है जिसका उपयोग पेयजल कार्य हेतु किया जाता था। वर्णित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त Feasibility Report के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–13/2024 – 4765 /राँची, दिनांक 31/07/24

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 3283 वि०स० दिनांक 25.07.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कॉके रोड, राँची/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, चांडिल/ईचा–गालूडीह कॉम्पलेक्स/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/24

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

159

डॉ० लम्बोदर महतो, स०वि०स० झा० द्वारा दिनांक–01.08.2024 में पुछे जाने वाले प्रश्न, संख्या– अ०सू०–15, का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के गोमिया विधान–सभा अन्तर्गत कसमार प्रखण्ड में चौड़ा जलाशय योजना का डी०पी०आर० बनाने हेतु केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया था, जलाशय के स्पीलवे भाग में Soil Bearing Capacity की जाँच के लिए Geo Technical Integration के अन्तर्गत Drilling कार्य कर दिनांक–02.03.2023 को पुनः डी०पी०आर० बनाने हेतु अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक लम्बित है ?	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त 'खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शीघ्र ही चौड़ा जलाशय की डी०पी०आर० बना कर प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए अविलम्ब निर्माण कार्य प्रारंभ करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	ग्रामीणों द्वारा प्रश्नगत कार्य का विरोध किया गया एवं केन्द्रीय जल आयोग के अभियंताओं को कार्य करने से रोक दिया गया, जिसके कारण योजना का डी०पी०आर० तैयार नहीं हो सका है। ग्रामीणों की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्रीय जल आयोग से डी०पी०आर० बनाने हेतु पूनः अनुरोध किया जाएगा। तत्पश्चात् डी०पी०आर० का सूत्रण पूर्ण हो जाने के बाद, बजट की स्थिति एवं क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए उक्त योजना की स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–11/2024– 4735 **/राँची, दिनांक** 30/7/24

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्र संख्या–3280, वि०स० दिनांक–25.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अवर सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/24

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

160

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–19 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखंड में बिजली व्यवस्था काफी दयनीय है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** हजारीबाग जिला अन्तर्गत बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखण्ड में विद्युत आपूर्ति, विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, क्रमशः बड़कागांव एवं केरेडारी से की जाती है। उक्त विद्युत शक्ति उपकेन्द्र हेतु 33 के०भी० लाईन विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, सिन्दूर से डेमोटांड़ होते हुए आती है। जिसकी लम्बाई 45 कि०मी० है एवं घने जंगल से होकर गुजरती है।
2. क्या यह बात सही है कि इन प्रखण्डों में लोड शेडिंग के कारण आम जनमानस को काफी कम बिजली प्राप्त होती है, जिसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** डी०भी०सी० द्वारा स्वीकृत माँग (PPA) से कम बिजली की आपूर्ति करने के कारण, विभिन्न फीडरों से विद्युत आपूर्ति में कमी की जाती है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कंडिका एक में वर्णित स्थलों में बिजली सुचारू रूप से उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	बड़कागांव से लगभग 3 कि०मी० दूरी पर स्थित बरवाडीह ग्रीड में झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि० द्वारा 220/33 के०भी० ग्रीड का निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है। ग्रीड निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उपरोक्त क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से की जाने लगेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1473 / दिनांक 31/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकीम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

161

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2024 को विधान सभा में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–41 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के बाल विकास परियोजना कार्यालयों में महिला पर्यवेक्षक, सांख्यिकी सहायक, लिपिक एवं आदेशपाल के पद पर संविदा के आधार पर वर्ष 2005 से कार्यरत है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि 19 वर्ष बीत जाने के बाद भी इनकी सेवा स्थायी नहीं की गई है, जबकि दिनांक–24.01.2024 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में भी इनके नियमतीकरण/सामंजन का प्रस्ताव है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। प्रशासी पदवर्ग समिति में पदों के केवल सृजन एवं विलोपन के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है एवं उल्लेखित बैठक में इसी संबंध में विचार किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार वर्णित कर्मियों की सेवा नियमित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य के 52 परियोजनाओं में संविदा पर कार्यरत इन कर्मियों का सेवा नियमितीकरण संबंधी मामला विभाग स्तर पर विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04/म0स0/विधान सभा–201/2024 – 1760 राँची, दिनांक : 31.07.2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3434/वि0स0 दिनांक–27.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.7.24

(प्रीति सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

श्री सुखराम उराँव, स०वि०स० द्वारा दिनांक– 01.08.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–12 का उत्तर सामग्री

क्रमांक	प्रश्न	माननीय विभागीय मंत्री का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर में जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय आदिवासी कन्या छात्रावास है जहाँ छात्राएँ अध्ययनरत् है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि छात्रावास जर्जर रहने के कारण भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना से इंकार नहीं किया जा सकता है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रावास की विशेष मरम्मति या नवनिर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	पश्चिमी सिंहभूम के खूंटपानी/चक्रधरपुर अंचल में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु 500 शय्या के एक छात्रावास का निर्माण कराया जाना है, जिसके लिये विभागीय पत्रांक– 1959, दिनांक– 29.07.2024 द्वारा प्राक्कलन/DPR भवन निर्माण निगम लि० से मांगा गया है। विभागीय पत्रांक– 1999, दिनांक– 31.07.2024 द्वारा उपायुक्त, प० सिंहभूम से अनुरोध किया गया है कि उक्त छात्रावास में आवासित छात्राओं को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उनकी सहमति से, खूंटपानी/चक्रधरपुर अंचल में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु छात्रावास के निर्माण हो जाने तक, चक्रधरपुर के किसी अन्य अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास में शिफ्ट किया जाए एवं जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय आदिवासी कन्या छात्रावास, चक्रधरपुर की आवश्कतानुसार विशेष मरम्मति/जीर्णोद्धार DMFT मद अथवा राज्य योजना से कराने हेतु कार्य योजना एवं प्राक्कलन विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:–05/वि०स०(छात्रावास)–06/2024 [illegible] राँची, दिनांक: [illegible]

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–3263, दिनांक– 25.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Bankey 31.07.2024

(विनोद कुमार बाँके)
सरकार के उप सचिव।

(164)

श्री अमित कुमार मंडल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2024 को विधान सभा में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 04 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के द्वारा वृद्धा एवं विधवा पेंशन योजना की राशि–1000/– से बढ़ाकर 2500/– रु० करने तथा राज्य के गरीब वंचित शोषित महिलाओं को चूल्हा खर्च के रुप में प्रति माह 2000 देने की घोषणा की है ;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के आँगनबाड़ी सेविका, सहायिका रसोइया जैसे अनुबंध कर्मी को स्थायी नौकरी देने की घोषणा की गई है ;	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य के महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण तथा 3 लाख आबादी पर एक महिला थाना स्थापित करने की घोषणा की है, जो अब तक पूरी नहीं हुई है ;	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–4958, दिनांक– 29.07.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 के द्वारा महिलाओं हेतु 5 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज रुप से निर्धारित है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–4621 दिनांक–30.07.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि वर्त्तमान में जिला मुख्यालय में 24 तथा पुलिस अनुमंडलों में 17 महिला एवं बाल संरक्षण थाना सृजित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन सभी घोषणाओं का क्रियान्वयन अविलम्ब करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04/म0स0/विधान सभा–198/2024 – 1757 राँची, दिनांक : 31.07.2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3266/वि0स0 दिनांक–25.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.7.24

(प्रीति सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

(165)

श्री सुखराम उराँव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–02 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री सुखराम उराँव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि चक्रधरपुर विधान–सभा क्षेत्रान्तर्गत चक्रधरपुर शहर के एन०एच०–75 सड़क की दोनों छोर में 11 हजार क्षमता का खुला तार मारवाड़ी स्कूल से लेकर पोटका तक है;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उल्लेखित तार को अंडरग्राउण्ड कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान में अंडरग्राउण्ड केबुल को लेकर योजना स्वीकृत नहीं है। मारवाड़ी स्कूल से लेकर पोटका तक कि दूरी लगभग 4.8 किलोमीटर है। उक्त दूरी में विद्युत शक्ति उपकेन्द्र चक्रधरपुर के दो फीडर क्रमशः (1) रेल फीडर एवं (2) टाऊन फीडर 11 के०भी० ओवरहेड तार सड़क के किनारे ऊर्जान्वित है। इसी लिए Under ground कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1467 / दिनांक 31/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकीम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

श्री किशुन कुमार दास, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.08.2024 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–39 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता–श्री किशुन कुमार दास, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता–मा0 मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य चतरा जिला अन्तर्गत सभी 12 प्रखण्डों में वर्षापात नहीं होने के कारण धान रोपनी का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चतरा जिला जिला के सभी 12 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर तत्काल किसानों को राहत कार्य पहुँचाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	Drought Manual 2020 के अनुसार अगस्त माह के अन्त में 85% से कम आच्छादन, Remote Sensing, Hydrological आँकड़ों के आधार पर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) द्वारा सुखाड़ की स्थिति पर निर्णय लिया जाता है। वर्षापात एवं आच्छादन की स्थिति के अनुसार आकस्मिक फसल क्रियान्वयन के संबंध में विभाग द्वारा मध्य अगस्त माह में निर्णय लिया जाता है। सभी जिलों से Forecast के आधार पर आकस्मिक फसल योजना तैयार है। बीज आपूर्ति हेतु सूचीबद्ध कम्पनियों से आकस्मिक फसल के बीज उपलब्धता पर सहमति है। इस निमित्त आवश्यकतानुसार 67517 क्विं0 बीज उपलब्ध है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03 / कृ0वि0स0(अ0सू0)–07 / 2024 1795 /कृ0, राँची, दिनांक– 31-07-2024
प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–3438 दिनांक–27.07.2024 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/24

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03 / कृ0वि0स0(अ0सू0)–07 / 2024 1795 /कृ0, राँची, दिनांक– 31-07-2024
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची / विशेष सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची / नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची / उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/24

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

(167)

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 01.08.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू० 48 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री अमित कुमार मंडल
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री बन्ना गुप्ता
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने 15 नवम्बर 2020 से प्रारंभ ग्रीन कार्ड योजना के 4,57,919 राशन कार्डधारी लाभूको को माह– अक्टूबर 2023 से अब तक इस योजना के लाभ से वंचित रखा है;</td><td>राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु माह जनवरी, 2021 से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू है।
झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत प्रारंभ में भारतीय खाद्य निगम के Open Market Sales Scheme (D) से चावल की प्राप्ति करते हुए खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने में असमर्थता व्यक्त किये जाने पर इस योजनान्तर्गत लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण प्रभावित हुआ था। तत्पश्चात निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्त्ता का चयन करते हुए योजना संचालित की गई जिसमें प्रक्रियागत विलंब हुआ।
वर्तमान में धान अधिप्राप्ति योजना से प्राप्त चावल का नियमित वितरण झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों के बीच किया जा रहा है, जिसके तहत सम्प्रति माह सितम्बर, 2023 के लिए वितरण कार्य जारी है।
वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत वितरण किये गये खाद्यान्न (चावल) की मात्रा निम्नवत् है :–
(मात्रा क्विंटल में)
<table>
<tr><th>माह जिसमें वितरण कार्य किया गया है।</th><th>माह जिसके लिए वितरण किया गया</th><th>वितरित मात्रा</th><th>लाभांवित होने वाले परिवारों की संख्या</th></tr>
<tr><td>मार्च एवं अप्रैल, 2024</td><td>जून, 2023</td><td>52,651.15</td><td>4,62,479</td></tr>
<tr><td>अप्रैल एवं मई, 2024</td><td>जुलाई, 2023</td><td>52,760.22</td><td>4,59,545</td></tr>
<tr><td>मई एवं जून 2024</td><td>अगस्त, 2023</td><td>53,875.82</td><td>4,56,241</td></tr>
<tr><td>जून एवं जुलाई, 2024</td><td>सितम्बर, 2023</td><td>49,861.09</td><td>4,56,619</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वंचित लाभूको की संख्या बताते हुए योजना का लाभ देना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।</td></tr>
</table>

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–29/2024 1830 /राँची, दिनांक 31/7/24

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–3448, दिनांक 27.07.2024 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/2024
सरकार के अवर सचिव।

(168)

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2024 को विधान सभा में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–44 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्यन्तर्गत बाल विकास परियोजनान्तर्गत बच्चे की पूरक पोषाहार की राशि तथा सेविका/सहायिका की मानदेय मार्च, 2024 से जुलाई, 2024 से नहीं मिल पाई, जिससे उन्हें उचित पोषण नहीं मिल पा रही है ;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। आँगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को पूरक पोषाहार पकाकर वितरण कराने निमित्त आँगनबाड़ी सेविकाओं को मई, 2024 तक के लिए पोषाहार राशि तथा आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं आँगनबाड़ी सहायिकाओं को फरवरी, 2024 तक के लिए मानदेय भुगतान हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है। उपर्युक्त मदो के अद्यतन भुगतान हेतु भारत सरकार से केन्द्रीय अंश विमुक्ति प्रतीक्षित है। इसके प्रत्याशा में यद्यपि आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से इसके लाभार्थियों को अनवरत पोषाहार वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राज्य मद से आँगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को प्रदाय अतिरिक्त मानदेय नियमित भुगतान किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्णित योजनान्तर्गत राज्य के गर्भवती महिलाएँ, धात्री एवं छः माह से तीन वर्ष के बच्चे–बच्चियों को जो पूरक पोषण आहार (MFEDE) पैकेट में दिया जा रहा था, जो राष्ट्रीय मानक के अनुसार नहीं रहने के कारण बन्द कर दिया गया है ;	अस्वीकारात्मक। भारत सरकार के मापदंडों के अनुपालन में पूरक पोषाहार कार्यक्रम अन्तर्गत सभी लाभार्थियों को नियमित रुप से पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित पोषण पैकेट आहार में बड़े पैमाने पर हो रही अनियमितताएँ की जाँच कराते हुए दोषियों पर विधि–सम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में यथा वर्णित।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04/म0स0/विधान सभा–203/2024 – 1762 राँची, दिनांक : 31.07.2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3435/वि0स0 दिनांक–27.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.7.24

(प्रीति सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं॰–अ॰सू॰–34 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कम्पनी झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड और ऊर्जा उत्पाद निगम में नियमित पदों यथा–लाईनमैन, जुनियर लाईनमैन, कनीय अभिंयता, बटन परिचालक, कुशल श्रमिक आधी के रिक्त पदों पर विद्युत कर्मियों की घोर कमी है;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि विद्युत कर्मियों की कमी के कारण यहाँ निमित पदों के विरूद्ध अनुबंध अथवा आउटसोर्सिग के माध्यम से कर्मियों को नियोजित कर विद्युत सेवा बहाल की जा रही है;	स्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राज्य के सभी 24 जिलों में निर्बाध विद्युत आपुर्ति बहाल करने के उददेश्य से विगत 10 वर्षो से अनुबंध अथवा दैनिक मानदेय पर कार्यरत विद्युत कर्मियों को नियमित करते हुए रिक्त पदों के विरूद्ध स्थायी नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम् उमादेवी एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों के नियमितीकरण हेतु गठित नियमावाली में निर्धारित अहर्ताएँ पूरी करने वाले कुल 80 (झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के लिए कुल 70 एवं झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के कुल 10) अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमितीकरण हेतु आदेश निर्गत है। साथ ही निकट भविष्य में रिक्त पदों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई आदि प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1575 / दिनांक 31/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/24

(मो० मुस्तकीम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

170

श्री राजेश कच्छप, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–42 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री राजेश कच्छप, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि राज्य में उपभोक्ताओं को विद्युत Connection के साथ Smart Meter उपलब्ध कराया जा रहा है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत् राज्य के शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के परिसर में विद्युत संबंध Smart meter के साथ दिया जा रहा है।
2. क्या यह बात सही है, कि Connection के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खतियान, रसीद, बंडा–पर्चा की मांग विभाग द्वारा की जा रही है, जबकि दूसरी ओर शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों के निवासियों से कोई कागजात की मांग नहीं की जा रही है और धड़ल्ले से नियम विरुद्ध अवैध विद्युत Connection एवं Smart Meter Award किया जा रहा है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** घरेलू श्रेणी के आवेदको से निगम द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित कागजात लिया जाता है:– 1. पहचान प्रमाण पत्र 2. परिसर के स्वामित्व/दखल संबंधित प्रमाण पत्र 3. आवेदक का स्थानीय पता संबंधित प्रमाण पत्र
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मामले की उच्चस्तरीय जाँच कर दोषियों को दंडित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	निगम द्वारा अवैध विद्युत Connection एवं Smart Meter निर्गत किये जाने संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर जाँचोंपरान्त दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक.....1470...../ दिनांक 31/07/2024.

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकीम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

(171)

श्री राजेश कच्छप, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2024 को विधान सभा में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–43 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2019 से ही राज्य निःशक्तता आयुक्त का पद रिक्त है ;	राज्य निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड का कार्यकाल मार्च, 2021 में समाप्त हुआ है। सम्प्रति विभागीय अपर सचिव, राज्य निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में है।
2.	क्या यह बात सही है कि निःशक्तता आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने से राज्य के दिव्यांगजनों से जुड़ी सभी प्रकार की कल्याणकारी योजनायें प्रभावित हो रही है ;	दिव्यांगजनों से जुड़ी सभी प्रकार की कल्याणकारी योजनाऐं विभाग स्तर से निरंतर क्रियान्वित की जा रही है तथा दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य निःशक्तता आयुक्त की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य निःशक्तता आयुक्त के पद पर नियुक्ति का मामला विभाग के समक्ष विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04 / म0स0 / विधान सभा–202 / 2024 – 1761 राँची, दिनांक : 31·07·2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3436 / वि0स0 दिनांक–27.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.7.24

(प्रीति सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

172

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 01.08.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू० 38 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री बिरंची नारायण
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री बन्ना गुप्ता
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग. झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि जुलाई, 2024 में ही राजधानी राँची के कडरू स्थित JSF and CSCL अर्थात झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड गोदाम में औचक निरीक्षण में सड़े अनाज और जमीन में गड़ा अनाज, इत्यादि कई अनियमितताएँ मिली है, और महीनों का डाटा इंट्री नहीं होना सहित स्टाक पंजी भी अद्यतन स्थिति में अपडेट नहीं मिला है, ऐसे ही गड़बड़ियाँ बोकारो सहित अन्य जिलों के गोदामों में मिली है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राँची स्थित कडरू गोदाम में माननीय विभागीय मंत्री द्वारा दिनांक 11.07.2024 को औचक निरीक्षण के क्रम में पायी गई अनियमितताओं के लिए दोषी कर्मियों एवं पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई करने का निदेश विभागीय पत्रांक 1804 दिनांक 29.07.2024 द्वारा उपायुक्त, राँची को दिया गया है। उक्त निरीक्षण के क्रम में कडरू गोदाम परिसर में स्थित 1,098.17 क्विंटल अनाज को जमीन के अंदर गाड़कर नष्ट किए जाने संबंधी मामला में जाँच हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक–1805, दिनांक 29.07.2024 द्वारा त्रिसदस्यीय जाँच दल का गठन किया गया है। झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के पत्रांक–2025, दिनांक 30.07.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बोकारो जिला अन्तर्गत राज्य खाद्य निगम गोदाम, बी०एस०सिटी का औचक निरीक्षण में सड़े अनाज और जमीन में गड़ा अनाज जैसी अनियमितताएँ नहीं पायी गई है। डाटा इन्ट्री का कार्य अद्यतन है। स्टॉक पंजी अद्यतन नहीं रहने के कारण सहायक गोदाम प्रबंधक बी०एस०सिटी को स्पष्टीकरण करते हुए सभी पंजियों को अद्यतन करने निदेश दिया गया है। साथ ही सभी सहायक गोदाम प्रबंधक को स्टॉक पंजी अद्यतन करने का निदेश दिया गया है।
(2) क्या यह बात सही है कि धनबाद के बरमसिया स्थित खाद्य गोदाम के इर्द–गिर्द रेलवे साईडिंग रैक से अनाज ट्रकों में लोड होकर गोदाम पहुँचते ही गोदाम प्रबंधकों/संचालकों एवं अन्य की मिलीभगत से सरकारी प्रिंटेड जूट बैग में पैक अनाज को निजी वाहनों से ले जाकर उनका सरकारी प्रिंटेंड जूट बैग को संख्या मिलाने के लिए वापस कर अनाज की कालाबाजारी/चोरी के बावजूद इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के पत्रांक–2025, दिनांक 30.07.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 25.07.2024 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी–सह–जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, धनबाद एवं प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक, धनसार द्वारा मामले की जाँच की गई। जाँच में पाया गया कि संबंधित अनाज भारतीय खाद्य निगम, धनबाद के रेलवे रैक से भारतीय खाद्य निगम गोदाम जाने के लिए ट्रक पर लोड हुआ था, जिस पर किसी राजकुमार साव के द्वारा ट्रक चालक से सांठ–गांठ कर कालाबाजारी के नियत से कृष्णापुरी, मनईटांड़ स्थित अपने आवास के निचले तल में बोरी को बदल कर उनके द्वारा खुले बाजार में बेचा जा रहा था। मामला भारतीय खाद्य निगम, धनबाद से संबंधित होने के कारण विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक 767/आ० दिनांक 25.07.2024 द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, धनबाद से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

	विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, धनबाद के ज्ञापांक 768/आ० दिनांक 25.07.2024 के आलोक में पण्य पदाधिकारी, धनबाद अनुभाजन द्वारा धनसार थाना में आवश्यक वस्तु अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी संख्या 110/24 दिनांक 26.07.2024 दर्ज करायी गई है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जन वितरण प्रणाली में व्याप्त इन गड़बड़ियों और कालाबाजारी/चोरी में संलिप्त पदाधिकारियों पर कठोरत्तम कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 1 और 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–28/2024 1837 /राँची, दिनांक 31/7/24

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 3343, दिनांक 27.07.2024 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.07.24
सरकार के अवर सचिव।

(173)

श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2024 में पुछे जाने वाले प्रश्न, संख्या–अ०सू०–45, का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राजमहल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड–उधवा तथा राजमहल में उदवह सिंचाई योजना अन्तर्गत सभी योजनाओं के बदले सौर ऊर्जा चालित उदवह सिंचाई योजना का निर्माण कराया जाना है, जिनका प्राक्कलन तैयार कर प्राक्कलन प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए विभाग को भेजा गया है।	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राजमहल प्रखण्ड अन्तर्गत डोमजल्ला नहर से ननसुक मौजा पंचायत प्राणपुर कोयला बाजार धनघटा नदी से ननसुक मौजा तथा तेनुआ नाला में गाद जमाव के कारण जल जमाव नहीं हो पाता है।	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि राजमहल प्रखण्ड अन्तर्गत मोकिमपुर पंचायत के जल्ला झील में जल जमाव के कारण सैकड़ों एकड़ जमीन फसल विहिन हो गई है।	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित योजनाओं के निर्माण तथा प्राकृतिक नहरों से गाद जमाव से मुक्ति दिलाने एवं जल जमाव क्षेत्रों में जल–निस्तारण हेतु गहरीकरण अविलम्ब कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पूर्व निर्मित उद्वह सिंचाई योजनाओं के कमाण्ड एरिया एवं तकनीकी संभाव्यता को देखते हुए सौर ऊर्जा चालित उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। प्रश्नगत् प्रखण्डों में लाभुक समिति द्वारा योजना से संबंधित बैंक खाता खोलने, संचालन, रख–रखाव एवं योजना निर्माण हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने से संबंधी सहमति प्रदान नहीं करने के कारण प्राक्कलन तैयार करने के उपरान्त भी अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं की जा सकी है। प्राकृतिक नहर/नालों में गाद जमाव का सफाई एवं गहरीकरण का कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है।

ASR

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–15/2024– 11751 **/राँची, दिनांक** 31/07/24

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्र संख्या–4714, वि०स० दिनांक–29.07.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके रोड, राँची/उप सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/24

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(174)

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–24 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि घनबाद जिला का निरसा विधानसभा क्षेत्र औद्योगिक, खनन् तथा घनी आबादी वाला क्षेत्र है।	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि निरसा विधान सभा के अधिकांश चौक चौराहों पर हाईमास्ट लाईट की व्यवस्था नहीं की गयी है तथा आए दिन यहाँ चोरी, छिनतई, सड़क दुर्घटना, हत्या जैसी घटनाएँ होते रहती है।	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि एन०एच०–2 गोपालगंज मोड़ के दोनों साईड हाईमास्ट लाईट, देवियाना मोड़, खुदिया फाटक मोड़, भासनबेड़िया मोड़, बेलचोड़ी मोड़, केलियासोल प्रखंड के बेनागोड़िया सुभाष चौंक, राजग्राउण्ड स्टेडियम, रांगामाटी पंचायत के चारधरा मोड़, सोनबांद पंचायत के घोड़ाडीह पहाड़ी मैदान के पास, आसनलिया पंचायत के कुसुमदाहा मोड़ तथा पाण्ड्रा के संबंधपुर छोटागढ़ खेल मैदान के पास हाई मास्ट लाईट नही लगाया गया है, जिससे लोगों को आने–जाने में वाहनों के परिचालन में काफी कठिनाईयाँ होती है, तथा दुर्घटनाएँ होते रहती है।	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि ऊपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर चालू वित्तीय वर्ष में हाईमास्ट लाईट लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	इस बिन्दु पर प्रक्रियात्मक कार्रवाई करते हुए निकट भविष्य में समाधान की दिशा में प्रयास किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1474 / दिनांक 31/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकीम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

175

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 01.08.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू० 20 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
सुश्री अम्बा प्रसाद
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री बन्ना गुप्ता
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग. झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर–
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में राशन कार्ड के माध्यम से राशन उठाने वाले लाभों की संख्या नियत है;	राज्य में राशनकार्ड के माध्यम से राशन उठानेवाले लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत लाभुकों का लक्ष्य 2,64,25,385 एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभुकों का लक्ष्य 20,00,000 निर्धारित है।
(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड के अहर्ता रखने वाले लाभुकों के लिये राशन कार्ड में नाम शामिल करने अथवा नया राशन कार्ड बनाने के लिए रिक्त उपलब्ध नहीं कराई गई है जिसके कारण काफी गरीब लोग राशन कार्ड के सेवा से वंचित है;	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्य 2,64,25,385 के विरूद्ध दिनांक 26.07.2024 के आँकड़ों के अनुसार 2,64,17,329 लाभुक आच्छादित हैं। झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य 20,00,000 के विरूद्ध दिनांक 26.07.2024 के आँकड़ों के अनुसार 16,39,997 लाभुक आच्छादित हैं। झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत रिक्तियाँ उपलब्ध होने पर योजनान्तर्गत लाभुकों को नया राशनकार्ड बनाया जा रहा है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य में अधिक से अधिक लोगों को राशन कार्ड से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ प्रदान करने हेतु राशन कार्ड की रिक्ति में सुधार करने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभुकों के निर्धारित लक्ष्य 20,00,000 लाख बढ़ाकर 25,00,000 लाख करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–24/2024 1831 /राँची, दिनांक 31/7/24

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 3269, दिनांक 25.07.2024 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/2024

सरकार के अवर सचिव।

176

2231
29/07/2024

श्री दशरथ गागराई, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–07

क्या मंत्री, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिला के कुचाई में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का अपना भवन नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त विद्यालय कल्याण विभाग के छात्रावास में संचालित है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि विद्यालय का अपना भवन नहीं होने के कारण प्रतिवर्ष अन्य कस्तूरबा विद्यालयों की अपेक्षा कम सीटों पर नामांकन होता है;	स्वीकारात्मक। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, कुचाई में स्वीकृत कुल 525 सीटों के विरुद्ध मात्र 350 छात्राओं का ही नामांकन लिया जाता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कुचाई के लिए विद्यालय भवन के निर्माण का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कुचाई के भवन निर्माण हेतु प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को प्रेषित किया गया है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर निविदा का प्रकाशन करते हुए भवन निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

29/07/24
सरकार के अवर सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स. 01–75 / 2024 2231 / दिनांक 29/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/24
सरकार के अवर सचिव।

177

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–35 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश के पलामू जिले में 20 मेगावाट सोलर पार्क स्थापित करने की योजना प्रस्तावित है;	स्वीकारात्मक।
2) क्या यह बात सही है कि सोलर पावर पार्क स्थापित करने हेतु पलामू जिले के हैदरनगर अंचल के परता ग्राम में 50 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गई है, परन्तु 24 जुलाई, 2024 तक सोलर पार्क बनाने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई है;	स्वीकारात्मक।
3) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पलामू जिले के हैदरनगर अंचल के परता ग्राम में सोलर पार्क की स्थापना हेतु कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक। पलामू जिले के हैदरनगर अंचल के परता गाम में सोलर पार्क की स्थापना हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव योजना प्राधिकृत समिति द्वारा पारित कर दिया गया है एवं जिसपर शीघ्र ही मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। स्वीकृति के उपरान्त निविदा के माध्यम से सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1465 / दिनांक 31/07/2024.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकीम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

178

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 01.08.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू० 28 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री बन्ना गुप्ता
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता
मामले विभाग. झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभुकों को आच्छादित लक्ष्य 20–लाख थी जिसे बढ़ाकर 25–लाख करने का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2024–25 में लाया गया था;	स्वीकारात्मक। राज्य में माह जनवरी, 2021 से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू है। योजनान्तर्गत लाभुकों को आच्छादित किये जाने हेतु प्रारंभिक लक्ष्य 15 लाख निर्धारित किया गया था, जिसे विभागीय संकल्प संख्या–2559, दिनांक 01.09.2022 द्वारा बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट घोषणा में योजनान्तर्गत लाभुकों का लक्ष्य 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किये जाने की घोषणा की गई है।
(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत ग्रीन कार्ड धारियों की संख्या–5 लाख 27 हजार 802 है एवं ग्रीन कार्ड सदस्यों की संख्या 16 लाख 39 हजार 218 है;	स्वीकारात्मक। वर्तमान में योजनान्तर्गत 5,28,126 लाभुक परिवार आच्छादित हैं जिसमें लाभुकों की संख्या 16,39,997 है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2024–25 बजट में प्रस्तावित ग्रीन कार्ड सदस्यों की संख्या 25 लाख तक करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	योजनान्तर्गत लाभुकों का लक्ष्य 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–25/2024 1834 /राँची, दिनांक 31/7/24

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 3326, दिनांक 26.07.2024 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/2024

सरकार के अवर सचिव।

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–06 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त देने का फैसला किया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि 44 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से मात्र 50% उपभोक्ताओं के घरों में ही मीटर है, जिस कारण 50% उपभोक्ता इस लाभ से वंचित रह जायेंगे;	अस्वीकारात्मक। उपभोक्ताओं के घरों में मीटर लगाकर ही विद्युत संबंध दिया जाता है, कालांतर में घरेलु उपभोक्ताओं का मीटर विभिन्न कारणों से खराब हो जाता है। मीटर के खराब होने पर उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण टैरिफ के नियमानुसार औसत खपत पर किया जाता है। जिन उपभोक्ताओं का औसत खपत 200 यूनिट तक पाया जाता है उनको सब्सिडी का लाभ दिया जाता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी वंचित उपभोक्ताओं को मुफ्त मीटर देकर शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं को इसका लाभ देना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के लगभग 9.72 लाख घरेलु उपभोक्ताओं का मीटर खराब है, जिसे बदलने हेतु राज्य सरकार से निधि उपलब्ध कराने संबंधी मामला प्रकियाधीन है। राज्य सरकार से निधि की उपलब्धता के अनुसार खराब मीटर को बदलने का लक्ष्य मार्च 2025 तक निर्धारित किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1466 / दिनांक 31/07/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो० मुस्तकीम अंसारी)
सरकार के उप सचिव।

(180)

श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.08.2024 को विधान सभा में पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–23 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में कार्यरत 10388 पोषण सखियों की सेवा वर्ष–2022 में समाप्त कर दी गई है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है ये महिलाएं विभाग द्वारा निर्देशित कार्य को पुरी निष्ठा के साथ कर रही थी तथा कोराना जैसे वैश्विक महामारी के समय भी अपनी कार्यों को निष्ठा पूर्वक किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि कार्यमुक्त हो जाने के बाद इन महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई है तथा मा० मुख्यमंत्री जी के द्वारा सेवा पुनः बहाल करने का आश्वासन भी दिया जाता रहा है ;	विभाग को इस तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पोषण सखियों की सेवा पुनः बहाल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में इन कर्मियों द्वारा की गई सेवा के फलाफल एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन विभाग द्वारा समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड के पर्यवेक्षण में क्षेत्रीय पदाधिकारियों से कराया गया है एवं इस आधार पर इनकी सेवा पुनर्बहाली सम्प्रति विभाग स्तर पर विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04/म0स0/विधान सभा–200/2024 – 1759 राँची, दिनांक : 31.07.2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3328/वि0स0 दिनांक–26.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.7.24

(प्रीति सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

(181)

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 01.08.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू० 03 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री बन्ना गुप्ता
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग. झारखण्ड।

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष–2020–21 में राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है, इस अधिनियम के तहत ग्रीन कार्ड धारको को एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से पाँच किलोग्राम प्रतिमाह प्रति लाभुक अनाज उपलब्ध कराया जाता है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
माह जनवरी, 2023 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की भाँति झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (हरा कार्ड) के लाभुकों को भी मुफ्त खाद्यान्न (चावल) वितरण किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>(2) क्या यह बात सही है कि इस अधिनियम के तहत वंचित गरीबों को राशन मुहैया कराने को लेकर 5,17,469 परिवार का ग्रीन कार्ड जारी किया गया है इनमें से वर्तमान में 50,590 ग्रीन कार्डधारी परिवारों को राशन नहीं मिल रहा है;</td><td>झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्तमान में 5,28,126 लाभुक परिवार आच्छादित है।
झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत प्रारंभ में भारतीय खाद्य निगम के Open Market Sales Scheme (D) से चावल की प्राप्ति करते हुए खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने में असमर्थता व्यक्त किये जाने पर इस योजनान्तर्गत लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण प्रभावित हुआ था। तत्पश्चात निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्त्ता का चयन करते हुए योजना संचालित की गई जिसमें प्रक्रियागत विलंब हुआ।
वर्तमान में धान अधिप्राप्ति योजना से प्राप्त चावल का नियमित वितरण झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों के बीच किया जा रहा है, जिसके तहत सम्प्रति माह सितम्बर, 2023 के लिए वितरण कार्य जारी है।
वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत वितरण किये गये खाद्यान्न (चावल) की मात्रा निम्नवत् है :–
(मात्रा क्विंटल में)
<table>
<tr><th>माह जिसमें वितरण कार्य किया गया है।</th><th>माह जिसके लिए वितरण किया गया</th><th>वितरित मात्रा</th><th>लाभांवित होने वाले परिवारों की संख्या</th></tr>
<tr><td>मार्च एवं अप्रैल, 2024</td><td>जून, 2023</td><td>52,651.15</td><td>4,62,479</td></tr>
<tr><td>अप्रैल एवं मई, 2024</td><td>जुलाई, 2023</td><td>52,760.22</td><td>4,59,545</td></tr>
<tr><td>मई एवं जून 2024</td><td>अगस्त, 2023</td><td>53,875.82</td><td>4,56,241</td></tr>
<tr><td>जून एवं जुलाई, 2024</td><td>सितम्बर, 2023</td><td>49,861.09</td><td>4,56,619</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शीघ्र नये जुड़े ग्रीन कार्डधारी परिवारों के नाम से राशन का आवंटन कर उन्हें राशन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>योजनान्तर्गत खाद्यान्न (चावल) का वितरण विलंब से परन्तु नियमित रूप से जारी है।</td></tr>
</table>

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–21/2024 1833 /राँची, दिनांक 31/7/24

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–3271, दिनांक 25.07.2024 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/2024
सरकार के अवर सचिव।